

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.16(1)साप्र / 2 / 2022

जयपुर, दिनांक : 28-08-2024

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	128 / 2014	श्री अशफाक हुसैन, कनिष्ठ लिपिक न्यायालय हाजा विशिष्ट न्यायाधीश, CBI Cases क्रम-2 जयपुर।	31.08.2027	एफ-927, गांधीनगर (नया नं. 4 / 146, गांधीनगर)
2.	138 / 2020	सुश्री शारदा गुप्ता लिपिक ग्रेड-1 वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2045	एफ-928, गांधीनगर (नया नं. 4 / 147, गांधीनगर)
3.	129 / 2014	श्री राजकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक भू-प्रबंधन विभाग, जयपुर	28.02.2029	एफ-981, गांधीनगर (नया नं. 4 / 168, गांधीनगर)
4.	132 / 2014	सुश्री निकिता शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज0 जयपुर	31.08.2055	एफ-982, गांधीनगर (नया नं. 4 / 169, गांधीनगर)
5.	133 / 2014	श्री बलराम सोनी, फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.04.2039	एफ-983, गांधीनगर (नया नं. 4 / 170, गांधीनगर)
6.	139 / 2020	श्री अनिल कुमार स्वामी, लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-4 / लिटिगेशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2055	4 / 19, गांधीनगर
7.	134 / 2014	श्री भूपेन्द्र कुमावत, फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.08.2042	4 / 26, गांधीनगर
8.	135 / 2014	श्री मुकेश कुमार कुमावत, फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.08.2044	4 / 36, गांधीनगर
9.	136 / 2014	श्री गिर्राज प्रसाद, वरिष्ठ लिपिक अतिरिक्त निदेशक(प्रशा.), पर्यटन विभाग जयपुर	31.03.2040	4 / 51, गांधीनगर
10.	140 / 2020	सुश्री मोनिका चौधरी, लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-3 / शिकायत) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2054	4 / 55, गांधीनगर
11.	138 / 2014	श्री हरिमोहन मीणा, कनिष्ठ लिपिक	31.07.2046	4 / 78, गांधीनगर



		न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय सांप्रदायिक दंगे प्रकरण/मानसिंह हत्याकाण्ड जयपुर		
12.	139/2014	श्री लालचंद कुमावत, लैब टेक्नीशियन कार्यालयाध्यक्ष सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	28.02.2028	4/81, गांधीनगर
13.	140/2014	श्री प्रेमराज मीणा, लेखाकार महाप्रबंधक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 जयपुर	30.06.2042	4/82, गांधीनगर
14.	141/2020	श्री शिव कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-1 कार्मिक (क-1/एसीआर) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2055	4/95, गांधीनगर
15.	142/2014	श्री मनोज कुमार गोस्वामी, विशेष शिक्षक प्रधानाचार्य, राज सेठ आनन्दीलाल पोद्दार मूक बधिर उ.मा. वि. जयपुर	31.07.2036	4/96, गांधीनगर
16.	143/2014	श्री दीनदयाल सैनी, कनिष्ठ लिपिक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हरिबक्श कावंटिया राजकीय जिला चिकित्सालय शास्त्री नगर जयपुर	31.10.2033	4/107, गांधीनगर
17.	144/2014	श्री नाहरसिंह मीणा, रेडियोग्राफर उप अधीक्षक, मनो चिकित्सा केन्द्र, जयपुर (राज0)	31.07.2035	4/127, गांधीनगर
18.	146/2020	श्रीमती ज्योति मीना, लिपिक ग्रेड-1 प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2049	4/134, गांधीनगर
19.	145/2014	श्री शिवकुमार सिंह, लिपिक ग्रेड-प्रथम संयुक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर	31.05.2027	4/137, गांधीनगर
20.	146/2014	श्री नरेश कुमार, वरिष्ठ लिपिक COL, ADM OFFICER NCC GROUP	30.04.2036	4/138, गांधीनगर
21.	147/2014	श्री सुरेश कुमार तोबडिया, कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर	31.03.2029	4/142, गांधीनगर
22.	147/2020	सुश्री किरण शर्मा लिपिक ग्रेड-1 पर्यटन विभाग, शासन सचिवालय	30.11.2053	4/148, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।

6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
2. आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. कमान्डेन्ट, एनसीसी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला/पर्यटन विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि०, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), न्यायालय हाजा विशिष्ट न्यायाधीश, सीबीआई केस क्रम संख्या-02/विशिष्ट न्यायाधीश, न्यायालय सांप्रदायिक दंगे प्रकरण/मानसिंह हत्याकाण्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/हरिबक्श कांक्टिया राजकीय जिला चिकित्सालय, शास्त्री नगर/मनो चिकित्सा केन्द्र, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. प्रधानाचार्य, राज० सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव